



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बापिणी, जिला-फलौदी

क्रमांक : उप.बा./ग्रा.से.शि./2025/

दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

कैम्प कोर्ट का स्थान : फॉलोअप ग्रामीण सेवा शिविर-2025, बापिणी।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी जाखण व भूअ.नि. बापिणी रिपोर्ट तथा तहसीलदार बापिणी/नायब तहसीलदार बापिणी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जाखण तहसील बापिणी व जिला फलौदी की जमाबन्दी सम्वत् 2072 -75 में खाता संख्या-386, 749 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर अमल दरामद आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जाखण	386, 749	मदनसिंह पुत्र डुंगरसिंह	बदनसिंह पुत्र डुंगरसिंह

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर बापिणी

क्रमांक : उप.बा./ग्रा.से.शि./2025/
प्रतिलिपि :-

दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

01. तहसीलदार बापिणी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र करावें।
02. पटवारी हल्का जाखण ।

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर बापिणी

